लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं .*234
04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा और हथकरघा संकुलों को सहायता

***234. श्री प्रदीप पुरोहितः**

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत ओडिशा के जीआई टैग वाले संबलपुरी हथकरघा और बंधा वस्त्रों के उत्पादन, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बारगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर और बौध में हथकरघा संकुलों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता, स्थापित किए गए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी), डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और आधुनिकीकरण से संबंधित प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए संबलपुरी हथकरघा उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, गुणवत्ता संबंधी प्रमाणन और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रोजगार सृजन और मूल्यवर्धित वस्त्र विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी ओडिशा में और अधिक टेक्सटाइल पार्क, एकीकृत हथकरघा अवसंरचना या सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *234 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय, ओडिशा के जीआई-टैग वाले संबलपुरी हथकरघा और बंधा वस्त्र सहित हथकरघा उत्पादों के उत्पादन, डिज़ाइन विकास, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रहा है।

आरएमएसएस के तहत, सभी प्रकार के यार्न के लिए मालभाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और कॉटन हैंक यार्न, घरेलू सिल्क, ऊन, लिनन और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर 15% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

एनएचडीपी के तहत, हैंडलूम एक्सपो, क्राफ्ट मेलों, दिल्ली हाट और हथकरघा मार्केटिंग सहायता (एचएमए) घटक के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाती है, इसके अलावा, 'इंडिया हैंडमेड' ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) प्रमाणिक पारंपरिक डिज़ाइन और उच्च-गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देता है, जबकि हैंडलूम मार्क सर्टिफ़िकेशन उपभोक्ताओं को हाथ से बुने हुए असली उत्पादों का भरोसा दिलाता है। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के माध्यम से, हथकरघा निर्यातकों और बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय मेलों और कार्यक्रमों में भागीदारी, बायर-सेलर मीट, रिवर्स बायर-सेलर मीट, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, भारत टेक्स और अन्य प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए संबलपुर जिले सहित ओडिशा राज्य में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत इंटरवेंशन्स के कार्यान्वयन हेतु 110.05 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। क्लस्टरों में बुनकरों हेतु डिज़ाइन सहायता के लिए डिज़ाइनर की नियुक्ति का प्रावधान भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) के तहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में, ओडिशा के बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर और बलांगीर ज़िलों के 272 हथकरघा कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक डिज़ाइनों को सुरक्षित रखने और डिज़ाइन-लीड- इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भुवनेश्वर के बुनकर सेवा केंद्र में एक डिज़ाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है।

(घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।
